

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

7874/CLS  
24/8/18

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-शामली की 20 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-306/2018/503/69-1-18-59(मु0अ0-37)/2018 दिनांक 31.03.2018 को निरस्त करते हुये आपके पत्र संख्या-4914/60/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 09 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-शामली की न0पा0परि0, शामली एवं न0पं0, थानाभवन की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 20 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 329.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 164.665 लाख (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख छ्छठ हजार पांच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

FC/AE (प्रशासकीय)

क्रमशः.....2

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश संख्या-306/2018/503/69-1-18-59(मु0अ0-37)/2018 दिनांक 31.03.2018 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया है।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।


16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-808/दस-2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,  
  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-529/2018/503(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामली।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
(मनिराम सिंह)  
संयुक्त सचिव।


शासनादेश संख्या-529 /2018/503(1)/69-1-18-59(मु0अ0-37)/2018, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | निकाय/ नगर पंचायत का नाम। | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।   | परियोजना की कुल लागत। | प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि। |
|----------|-------------|---------------------------|--|-----------------------|---|
| 1        | 2           | 3                         | 4  | 5                     | 6   |
| 1        | शामली       | न०पा०प०, शामली            | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर अनिल के मकान से ट्रांसफार्मर तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                     | 2.73                  | 1.365   |
| 2        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर धर्मपाल के मकान से ट्रांसफार्मर एवं महिपाल खेड़ी के मकान से नहर तक सी० सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य। | 23.32                 | 11.66   |
| 3        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर महिपाल खेड़ी के मकान से बीरु निर्वल व अनिल के मकान नहर सड़क तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।      | 7.15                  | 3.575   |
| 4        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर अनिल के मकान से शेरश्रपाल के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                | 21.26                 | 10.63   |
| 5        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर ऋषिपाल के मकान से मुकेश के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                  | 3.79                  | 1.895   |
| 6        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर अजय मालिक के मकान से विजय के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                | 3.89                  | 1.945   |
| 7        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर ऋषिपाल के मकान से विनोद धीमान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                            | 3.85                  | 1.925   |
| 8        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर नरेश के मकान से राममेहर के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                  | 3.96                  | 1.98  |
| 9        | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर प्रमोद के मकान से अंकुश के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                                  | 4.48                  | 2.24  |
| 10       | तदैव        | तदैव                      | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर रामेश्वर के मकान से शिवकुमार के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।                             | 4.20                  | 2.10  |

|     |      |                 |   |        |         |
|-----|------|-----------------|---|--------|---------|
| 11  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 20 मो० काका नगर विकास सैनी के मकान से श्यामलाल सैनी के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।   | 30.04  | 15.02   |
| 12  | तदैव | न०पा०प०, कांधला | वार्ड नं० 03 मो० राजदगयान कल्लू बाबा मंदिर से डब्लू कश्यप के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।  | 28.92  | 14.46   |
| 13  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 14 जाट कालोनी छोटी नहर के पास अरुण कुमार के मकान से सोनू के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।  | 4.07   | 2.035   |
| 14  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 12 जाट कालोनी छोटी नहर पुल से जाट धर्मशाला तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।  | 18.39  | 9.195   |
| 15  | तदैव | तदैव            | कांधला में आनन्द देलेम के गेट से सड़क वाली गली तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।  | 7.11   | 3.555   |
| 16  | तदैव | न०पं०, थानाभवन  | वार्ड नं० 11 मो० हकीमान में शमशाद के मकान से चौक बाजार तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।  | 14.68  | 7.34    |
| 17  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 11 मो० हकीमान में चौक बाजार से देवी भवन तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।   | 15.84  | 7.92    |
| 18  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 17 मो० रस्ती दक्षिणी में वर्मा बुक डेपो से महाराण प्रताप चौक तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।   | 17.37  | 8.685   |
| 19  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 17 मो० छीपियान व खेल जस्सू वाले के सामने नई बस्ती की समस्त गलियों (जयपाल वाली गली, सुरेन्द्र वाली गली, डा० सत्यवीर वाली गली, अजय वाली गली, फोजी रामफुल वाली गली, डा० प्रशांत वाली गली, जस्सू वाली गली) में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य। | 58.98  | 29.49   |
| 20  | तदैव | तदैव            | वार्ड नं० 13 मो० कस्साबान में न०पं० के कोने से हरबीर की दुकान तक, एवं संलग्न गलियों (गुल्लू से मस्जिद, सरीफ से सलीम, अब्दुल रहीम से सलीम, सन्नों से दजहार, सुशील से चिल्ड वाटर) में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।                                     | 55.30  | 27.65   |
| योग |      |                 |   | 329.33 | 164.665 |

(रूपये एक करोड़ चौसठ लाख छ्छठ हजार पांच सौ मात्र)।

  
(मनिराम सिंह)  
संयुक्त सचिव।